**भारत सरकार**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या. 663**

**दिनांक 27.07.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**,uvkjMhMCY;wih dk dk;kZUo;u**

663- Jh Mhñ dqisUnz jsM~Mh%

D;k is;ty ,oa LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ¼,uvkjMhMCY;wih½ dk dk;kZUo;u dj jgh gS(

¼[k½ ;fn gk¡] rks bldh izeq[k fo'ks"krk,¡ D;k gSa; vkSj

¼x½ foxr rhu o"kks± vkSj pkyw o"kZ ds nkSjku jkT;ksa vkSj la?k {ks=ksa dks blds varxZr fdruh fufèk tkjh dh xbZ gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री राम कृपाल यादव)**

(क) जी, हाँ।

(ख) राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) के अंतर्गत, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्‍ध कराने के लिए न्‍यूनतम मानदंड 40 लीटर प्रति व्‍यक्‍ति प्रति दिन (एलपीसीडी) है जो पानी पीने, खाना पकाने, स्‍नान करने, बर्तन धोने तथा प्रक्षालन के लिए मूलभूत न्‍यूनतम आवश्‍यकता पर आधारित है। राज्‍य सरकारों को, जल की उपलब्‍धता, माँग तथा निहित पूँजीगत लागत के आधार पर अपने उच्‍च मानदंड निर्धारित करने का लचीलापन दिया गया है। एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी के अंतर्गत, सुरक्षित पेयजल की न्‍यूनतम अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति को ग्रामीण बसावटों को कवर करने के संदर्भ में मॉनिटर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन अनुमोदन पूर्व मानदंड के आधार पर किया जाता है और उसे राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रस्‍तुत वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर तय किया जाता है। राज्‍य अपने लक्ष्‍य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार तय करते हैं। राज्‍यों को, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का चयन करने, अनुमोदन करने और कार्यान्‍वित करने के लिए शाक्‍तियाँ प्रत्‍यायोजित की गई हैं। एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी निधियों की 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत राशि केंद्र स्‍तर पर हैं। एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी निधियों की 22 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए तथा 10 प्रतिशत राशि जनजातिय उप-योजना के लिए निर्धारित की गई है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों को पेयजल आपूर्ति की व्‍यवस्‍था के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी के अंतर्गत जारी निधियों के ब्‍यौरे अनुलग्‍नक पर हैं।

|  |
| --- |
| **दिनांक 27.07.2015 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 663 के भाग (ग) में उल्ल‍िखित अनुलग्नक** |
| **एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी निधियों के ब्यौरे** |
|  |  | **एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत जारी निधियाँ (करोड़ रुपयों में)** |
|  | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16 (22.07.2015 की स्थिति के अनुसार)** |
| 1  | अंडमान और निकोबार  | 0.78 | 0.09 | 0.81 | 0.00 |
| 2  | आंध्र प्रदेश | 485.14 | 631.52 | 377.78 | 91.48 |
| 3  | अरुणाचल प्रदेश | 223.22 | 237.32 | 109.83 | 40.14 |
| 4  | असम | 659.21 | 514.98 | 545.87 | 141.97 |
| 5  | बिहार | 224.30 | 338.95 | 340.48 | 132.59 |
| 6  | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7  | छत्तीसगढ़ | 148.64 | 135.20 | 150.74 | 45.38 |
| 8  | दादरा एवं नगर हवेली  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9  | दमन एवं द्वीव  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10  | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11  | गोवा  | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 12  | गुजरात  | 717.47 | 515.07 | 405.58 | 118.09 |
| 13  | हरियाणा  | 313.41 | 229.52 | 277.98 | 38.97 |
| 14  | हिमाचल प्रदेश  | 129.90 | 130.81 | 120.89 | 45.38 |
| 15  | जम्मू एवं कश्मीर  | 474.50 | 414.82 | 474.41 | 153.74 |
| 16  | झारखंड  | 243.43 | 243.29 | 175.18 | 60.59 |
| 17  | कर्नाटक  | 869.24 | 897.29 | 563.91 | 152.07 |
| 18  | केरल  | 249.04 | 212.04 | 124.10 | 39.21 |
| 19  | लक्षद्वीप  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20  | मध्य प्रदेश  | 539.56 | 474.95 | 440.18 | 135.44 |
| 21  | महाराष्ट्र  | 846.48 | 690.27 | 748.23 | 231.67 |
| 22  | मणिपुर  | 66.21 | 55.30 | 88.54 | 16.67 |
| 23  | मेघालय  | 97.61 | 103.40 | 69.50 | 21.66 |
| 24  | मिजोरम  | 47.92 | 44.89 | 34.50 | 11.59 |
| 25  | नागालैंड  | 110.20 | 61.07 | 101.44 | 14.29 |
| 26  | ओडिशा  | 210.58 | 317.07 | 230.67 | 71.76 |
| 27  | पुदुचेरी  | 0.88 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 28  | पंजाब  | 144.27 | 147.95 | 97.38 | 27.33 |
| 29  | राजस्थान  | 1411.36 | 1332.49 | 1304.64 | 247.36 |
| 30  | सिक्क‍िम  | 32.36 | 26.56 | 31.70 | 4.81 |
| 31  | तमिल नाडु  | 570.17 | 387.11 | 382.46 | 86.97 |
| 32  | तेलंगाना  | - | - | 212.24 | 62.02 |
| 33  | त्रिपुरा  | 100.59 | 89.93 | 68.31 | 16.38 |
| 34  | उत्तर प्रदेश  | 980.06 | 794.93 | 1036.30 | 242.60 |
| 35  | उत्तराखंड  | 74.28 | 87.61 | 111.48 | 48.95 |
| 36 | पश्चि‍मी बंगाल  | 502.36 | 485.83 | 431.09 | 104.31 |
| **कुल**  | **10473.20** | **9600.32** | **9056.22** | **2405.08** |

**अनुलग्नक**